न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 26 / 2025 बउनवानी कैलाश नारायण बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार पुत्र कन्हैयालाल शर्मा निवासी गीता भवन के पास शहर, सवाईमाधोपुर

GCMS No-2025/99

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
24.4.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 15.01.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " *इस्तगासा 107,116 (3) सीआरपीसी दिनांक 16.7.2020 मे संलग्न स्टाम्प एवं प्रार्थना पत्र दिनांक 12.12.2016 की प्रमाणित सूचना* " उपजिला कलेक्टर खण्डार से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकः रीडर / सूकाअ / 25 / 229 दिनांक 24.04.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 15.01.2025 मे चाही गयी सूचना से संबंधित मूल रिकार्ड यथा मूल स्टाम्प एवं मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 12.12.2016 उपलब्ध नही होने के कारण उक्त स्टाम्प एवं प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति दिया जाना सम्भव नही है। जिसके संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 228 दिनांक 23.4.2025 से वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 15.01..2025 को प्रेषित प्रार्थना मे चाही गयी सूचना से संबंधित मूल रिकार्ड यथा मूल स्टाम्प एवं मूल प्रार्थना पत्र इस्तगासा के साथ संलग्न नही होने के कारण उक्त सूचना अपीलान्ट को दिया जाना सम्भव नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:11:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner